परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1)

जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा

क. सामान्य डाटा

क्र. सं.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		2.22 लाख* वर्ग किमी.
2	जनगणना (2019)($) (2009)($)		1.28 करोड़ 1.25 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		124 प्रति वर्ग किमी.
4	2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 21.9 *प्रतिशत*)		10.4
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.0 *प्रतिशत*)		67.2
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर)। (अखिल भारतीय औसत= 33 प्रति 1000 जीवित जन्म पर (2017)		23
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की दर (अखिल भारतीय औसत = 68.7 वर्ष (2012-16)		73.5
8	एचडीआई मूल्य दर#	भारत 2018 (यूएनडीपी द्वारा बताई गई मानव विकास रिपोर्ट 2019)	0.647
9	विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी@ सीएजीआर (2011-12 से 2018-19)		6.32 10.93
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2018-19)	जम्मू एवं कश्मीर	10.20
		विशेष श्रेणी राज्य	11.55
11	जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019)	जम्मू एवं कश्मीर	11.66
		विशेष श्रेणी राज्य	11.91

ख. वित्तीय डाटा

क्र. सं.	विवरण (सीएजीआर)	आंकड़े (*प्रतिशत* में)			
		2009-10 से 2017-18		2017-18 से 2018-19	
		विशेष श्रेणी राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	विशेष श्रेणी राज्य	जम्मू एवं कश्मीर
क.	राजस्व प्राप्तियां	13.41	13.52	11.64	5.60
ख.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व	17.65	27.73	23.22	11.04
ग.	गैर-कर राजस्व	8.57	20.91	19.16	(-)0.30
घ.	कुल व्यय	11.95	11.41	13.97	25.50
ड.	पूंजीगत व्यय	9.64	6.55	13.68	(-)18.74

च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.97	16.41	16.16	44.63
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.37	14.98	17.91	42.13
ज.	वेतन एवं मजदूरी	12.81	12.42	14.70	49.54
झ.	पेंशन	19.15	16.74	13.33	39.03

#मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)

स्रोत: *आर्थिक सर्वे (जम्मू एवं कश्मीर),2017, @आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार) 2018-19

$ भारत की जनगणना (जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104 से 115)

परिशिष्ट-1.2
भाग क: संरचना तथा सरकारी लेखाओं के प्रपत्र

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है **(i)** समेकित निधि**, (ii)** आकस्मिक निधि और **(iii)** लोक लेखा ।

भाग-I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व**,** राजकोष बिलों**,** आंतरिक और बाह्य ऋणों के निर्गम द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि कहा जाता है।

भाग-II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि तत्काल अप्रत्याशित व्यय जिसे विधानमंडल से मंजूरी प्राप्त होना शेष है, को पूरा करने के लिए अग्रिम देने में सक्षम बनाने हेतु राज्यपाल के नियंत्रण पर अग्रदाय की प्रकृति की होती है। विधानमंडल का अनुमोदन ऐसे व्यय के लिए तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि वापस लेने के बाद प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-III: लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों के संबंध में कुछ कतिपय संव्यवहारों जैसे लघु बचते, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो आकस्मिकता निधि का हिस्सा नहीं है, को लोक लेखाओं में रखा जाता है तथा राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं हैं।

भाग ख: वित्त लेखाओं का प्रारूप

विवरण	प्रारूप
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण सं. 2	प्राप्तियों तथा संवितरण का विवरण
विवरण सं. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण सं. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण
विवरण सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय का विवरण
विवरण सं. 6	उधार तथा अन्य देयताओं का विवरण
विवरण सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण
विवरण सं. 8	सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण
विवरण सं. 10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानो का विवरण
विवरण सं. 11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण सं. 12	राजस्व के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा उपयोग का विवरण
विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश

विवरण सं. 14	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 15	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 16	लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 17	उधारो तथा अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमो के विस्तृत विवरण
विवरण सं. 19	सरकार के निवेशो का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण
विवरण सं. 22	चिन्हित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट-1.3
राजकोषीय वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति

चयनित राजकोषीय परिवर्ती के लिए टीएफसी द्वारा निर्धारित मानदंड/ उच्चतम शीर्ष, राजकोषीय समुच्चयों के एक सेट के लिए अपने अनुमानों तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए वचनबद्धताओं/ प्रक्षेपों के साथ अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में और अधिनियम के अंतर्गत विधायिका में बनाये गए अन्य विवरणों में (***परिशिष्ट 1.2* के भाग ख**) का उपयोग प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के रुझानों तथा पदत्ति का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेत है, कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व तथा राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय समुच्चय को वर्तमान बाजार कीमतों पर जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रस्तुत किया है। जीएसडीपी द्वारा उपलब्ध प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय परिवर्ती कारको के लिए उत्थान गुणांकों का भी आकलन करने के लिए कार्य किया गया है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पदत्ति आदि आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख रहे हैं या ये राजकोषीय समुच्चय भी जीएसड़ीपी के अतिरिक्त अन्य कारकों से प्रभावित है। विगत पाँच वर्षों हेतु जीएसडीपी में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान कीमतों पर भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
जीडीपी की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
वर्तमान कीमतों पर राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441*
जीएसडीपी की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52

*(स्रोत: *अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग निदेशालय जम्मू एवं कश्मीर, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट, भारत सरकार)*

शर्तें	गणना का आधार
मानदंड में उत्थान	जीएसडीपी वृद्धि/ मानदंड की वृद्धि दर
अन्य मानदंड (वाई) के संबंध में (एक्स) मानदंड का उत्थान	मानदंड (एक्स) की वृद्धि दर मानदंड (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आरओजी)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/ पिछले वर्ष की राशि)-1] * 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष राजकोषीय देयताओं की राशि + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] * 100

बकाया ऋण के लिए ब्याज *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त हुआ	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक राशि + ऋणों तथा अग्रिमों का अंत शेष)/2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पूर्व-विचलन गैर-नियोजित राजस्व घाटा	गैर-नियोजित राजस्व व्यय - (राज्य के स्वयं कर राजस्व + राज्य के स्वयं गैर-कर राजस्व)
राज्य का स्वयं का घाटा	राजकोषीय घाटा- केंद्रीय करों/ शुल्कों में हिस्सेदारी- केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान
गैर-नियोजित राजस्व गैप	राजस्व घाटा - 'योजना' लेखा पर राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - (योजना राजस्व व्यय - योजना अनुदान)
प्राथमिक राजस्व व्यय	कुल राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: पैराग्राफ:1.1.1, पैराग्राफ: 1.2 तथा 1.3)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला डाटा[1]

(₹ करोड़ में)

भाग-क प्राप्तियां					
राजकोषीय सकल	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1. राजस्व प्राप्तियां (क) + (ख)	**28,939**	**35,781**	**41,978**	**48,512**	**51,231**
(क) कर राजस्व	**10,811 (37)**	**15,141 (42)**	**17,308 (41)**	**21,448 (44)**	**23,816 (46)**
(i) राज्य के स्वयं के कर से राजस्व	6,334 (22)	7,326 (20)	7,819 (19)	9,536 (20)	9,826 (19)
जिसमें शामिल है					
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	0	2,611 (27)	5,134 (52)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,602 (73)	5,277 (72)	6,012 (77)	4,493 (47)	1,757 (18)
राज्य उत्पाद शुल्क	466 (7)	533 (7)	569 (7)	833 (9)	1,291 (13)
वाहनों पर कर	132 (2)	145 (2)	150 (2)	228 (2)	239 (2)
स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क	248 (1)	264 (1)	227 (4)	307 (3)	265 (3)
भू-राजस्व	15 (0.24)	12 (0.1)	17 (0.22)	29 (0.30)	41 (0.42)
अन्य कर	871 (14)	1,095 (15)	844 (11)	1,035 (11)	1,099 (11)
(ii) केंद्रीय करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा	4,477 (15)	7,814 (22)	9,489 (23)	11,912 (25)	13,990 (27)
(ख) गैर-कर राजस्व	**18,127 (63)**	**20,640 (58)**	**24,670 (59)**	**27,064 (56)**	**27,415 (54)**
(i)राज्य के स्वयं के गैर-कर राजस्व	1,978 (7)	3,913 (11)	4,072 (10)	4,362 (9)	4,349 (8)
जिसमें शामिल हैं					
विद्युत विभाग से प्राप्तियां	1,428 (72)	1,477 (38)	2,770 (68)	3,151 (72)	3,246 (75)
(ii) केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	16,150 (56)	16,728 (47)	20,598 (49)	22,702 (47)	23,066 (45)
राज्य के स्वयं के राजस्व (क) (i) + (ख) (i)	8,312	11,239	11,891	13,898	14,175
केंद्र से राजस्व हस्तांतरित (क) (ii) + (ख) (ii)	20,627	24,542	30,087	34,614	37,056
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां (ऋणों तथा अग्रिमो की वसूली)	3	4	19	4	4
3. सकल लोक ऋण प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिमों की प्राप्तियों सहित)	10,259	14,645	20,749	25,557	25,336
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (1+2+3)	**39,201**	**50,430**	**62,746**	**74,073**	**76,571**
5. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0.55	0	0	0.15	0.17
6. सकल लोक लेखा प्राप्तियां (विभागीय नकद चैस्ट तथा नकद बचत में प्राप्तियों सहित)	37,242	49,546	35,983	30,698	39,107
सकल प्राप्तियां (4+5+6)	**76,443**	**99,976**	**98,729**	**1,04,771**	**1,15,678**
लोक लेखा प्राप्तियां (निवल) (विभागीय	**3,906**	**4,312**	**2,396**	**(-)164**	**8,605**

[1] 01 करोड़ का अंतर जहां भी है, वह पूर्णांक करने के कारण है।

नकद चैस्ट तथा नकद बचत में प्राप्तियों सहित)					
भाग- ख संवितरण					
राजकोषीय समुच्चय	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1. राजस्व व्यय **(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)**	**29,329** **(85)**	**36,420** **(83)**	**39,812** **(83)**	**40,916** **(80)**	**56,090** **(87)**
(क) योजना/ सीएसएस/ सीए	2,872 (10)	1,573 (4)	2,000 (5)	2,500 (6)	2,512 (4)
(ख) गैर-नियोजित/ सामान्य/ साधारण/ एसएफई	26,457 (90)	34,847 (96)	37,812 (95)	38,416 (94)	53,578 (96)
(i) सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	12,039 (41)	13,675 (38)	15,110 (38)	16,888 (41)	22,850 (41)
(ii) सामाजिक सेवाएं	8,501 (29)	11,331 (31)	11,564 (29)	13,117 (32)	17,931 (32)
(iii) आर्थिक सेवाएं	8,789 (30)	11,414 (31)	13,138 (33)	10,911 (27)	15,309 (27)
2. पूंजीगत व्यय **(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)**	**5,134** **(15)**	**7,331** **(17)**	**8,286** **(17)**	**10,353** **(20)**	**8,413** **(13)**
(क) योजना/ सीएसएस/ सीए	4,501 (88)	1,256 (17)	1,440 (17)	2,716 (26)	3,008 (36)
(ख)गैर-नियोजित/ सामान्य	633 (12)	6,075 (83)	6,846 (83)	7,637 (74)	5,405 (64)
(i)सामान्य सेवाएं	608 (12)	1,112 (15)	769 (9)	803 (8)	818 (10)
(ii)सामाजिक सेवाएं	1,608 (31)	2,674 (36)	2,306 (28)	2,787 (27)	2,895 (34)
(iii)आर्थिक सेवाएं	2,918 (57)	3,545 (48)	5,211 (63)	6,763 (65)	4,700 (56)
3. ऋण तथा अग्रिमो का संवितरण	**87**	**94**	**76**	**25**	**69**
4. कुल (1+2+3)	**34,550**	**43,845**	**48,174**	**51,294**	**64,572**
5. लोक ऋण का सकल पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित) जिसमें शामिल है	**8,549**	**10,815**	**17,023**	**22,490**	**20,647**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,213	1,485	1,951	3,168	2,519
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संव्यवहार	**(-)226**	**226**	**(-)890**	**589**	**(-)232**
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम[2]	112	113	114	116	117
6. आकस्मिकता निधि का विनियोजन	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. समेकित निधि से सकल संवितरण (4+5)	**43,099**	**54,660**	**65,197**	**73,784**	**85,219**
8. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**0**	**0**	**0.17**	**0**
9. सकल लोक लेखा संवितरण	**33,336**	**45,234**	**33,587**	**30,862**	**30,502**
10. सकल संवितरण (7+8+9)	**76,435**	**99,894**	**98,784**	**1,04,646**	**1,15,721**
11. नकद शेष में वृद्धि	**338**	**82**	**(-)55**	**125**	**(-)43**
12 कुल योग	**76,773**	**99,976**	**98,729**	**1,04,771**	**1,15,678**

[2] अर्थोपाय अग्रिमो सहित

भाग - ग घाटा					
1. राजस्व अधिशेष (+) / राजस्व घाटा (-) (राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय)	**(-)390**	**(-) 640**	**(+)2,166**	**(+)7,595**	**(-)4,859**
2. राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (लोक ऋण तथा अन्य देयताओ के ऋण-शोधन को छोड़कर कुल व्यय - कुल गैर-ऋण प्राप्तियां)	**(-)5,608**	**(-)8,060**	**(-)6,177**	**(-)2,778**	**(-)13,337**
3. प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान)	**(-)2,075**	**(-)4,341**	**(-)1,610**	**(+)1,885**	**(-)8,128**
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**3,533**	**3,719**	**4,567**	**4,663**	**5,209**
5. राजस्व बकाया	**1,399**	**1,399**	**1,468**	**1,946**	**1,645**
6. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि।	**1,535**	**1,523**	**1,729**	**2,754**	**3,325**
7. **उपभोग किया हुआ अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट (दिन)**	**207** (2 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	**215** (7 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	**242** (2 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	**199** (27 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	**178** (7 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)
8. **डब्ल्यूएमए/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज**	**9**	**13**	**19**	**22**	**12**
9. **लोक ऋण प्राप्तियां**	**10,033**	**14,645**	**20,749**	**25,557**	**25,336**
10. **वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी[3])**	**98,370**	**1,17,168**	**1,25,379**	**1,38,488**	**1,54,441**
11. लोक लेखा को छोड़कर बकाया लोक ऋण[4] (वर्ष अंत)	**28,201**	**32,031**	**35,756**	**38,823**	**43,513**
12. ब्याज सहित बकाया गारंटियां (वर्ष अंत)	**2,860**	**2,827**	**2,636**	**2,416**	**2,072**
13. अधिकतम राशि की गारंटी (वर्ष अंत)	**4,232**	**4,214**	**4,270**	**4,271**	**4,361**
14. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**671**	**938**	**119**	**428**	**291***
15. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	**1,902**	**1,734**	**393**	**570**	**496***
कुल व्यय/ जीएसडीपी (*प्रतिशत*)	**35.12**	**37.42**	**38.42**	**37.04**	**41.81**
राजस्व प्राप्तियां/ कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**84**	**82**	**87**	**95**	**79**
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**85**	**83**	**83**	**80**	**87**
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**29.26**	**31.94**	**29**	**31**	**32**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**33.88**	**34.12**	**38**	**34.46**	**30.99**
पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**14.86**	**16.72**	**17.20**	**20.18**	**13.03**
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**13.10**	**14.18**	**15.60**	**18.62**	**11.76**
जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रुप में राजस्व घाटा/ राजस्व अधिशेष	**(-)0.40**	**(-) 0.55**	**(+)1.73**	**(+)5.48**	**(-)3.15**
जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रुप में राजकोषीय घाटा	**(-)5.70**	**(-)6.88**	**(-)4.93**	**(-)2.01**	**(-)8.64**
जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रुप में प्राथमिक घाटा	**(-)2.11**	**(-)3.70**	**(-)1.28**	**(+)1.36**	**(-)5.26**
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (*प्रतिशत*)	**6.95**	**8.08**	**उप.नहीं**	**उप.नहीं**	**(-)36.43**
देयताएं/ जीएसडीपी (*प्रतिशत*)	**49.11**	**47.25**	**49.62**	**54.41**	**51.22**
देयताएं/ राजस्व प्राप्तियां (*प्रतिशत*)	**166.95**	**154.71**	**148.22**	**140.62**	**154.41**
ऋण-शोधन (मूल+ब्याज)/ वर्ष के लिए कुल ऋण प्राप्तियां *(प्रतिशत)*	**99.39**	**99.24**	**104.05**	**106.24**	**102.05**
निवेश पर रिटर्न	**128.88**	**54.13**	**45.11**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	**1.28**	**1.23**	**1.24**	**1.34**	**1.23**

(स्रोत: वित्त लेखे)

[3] वर्ष 2018-19 (क) के लिए जीएसडीपी के आंकडे, महानिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है।

[4] केवल केंद्र सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम शामिल हैं।

* 234 अपूर्ण परियोजनाओ के संबंध में संशोधित लागत वित्त लेखा खंड-II के परिशिष्ट IX में नहीं दर्शाई गई है।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.1 तथा 1.3)

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मदे	**2017-18**	**2018-19**		**विभिन्न मदे**	**2017-18**	**2018-19**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
खंड- क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	**48,511.88**		**51,230.71**	**I. राजस्व व्यय**	**40,916.49**		**56,089.97**
स्वयं के कर-राजस्व	*9,536.40*	*9,826.35*		**सामान्य सेवाएं**	**16,888.21**	**22,849.78**	
				सामाजिक सेवाएं	**13,116.97**	**17,930.84**	
गैर-कर राजस्व	*4,362.34*	*4,349.35*		शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	*6,975.16*	*10,073.59*	
				स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	*2,567.13*	*3,549.42*	
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	*11,911.65*	*13,989.80*		जलापूर्ति, स्वच्छता/ एचएंडयूडी	*2,102.55*	*2,367.64*	
				सूचना एवं प्रसारण	*45.97*	*66.30*	
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	9,096.19	*7,607.90*		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	*108.76*	*99.20*	
वित्त आयोग अनुदान	11,849.00	13,534.01		श्रम तथा श्रम कल्याण	*35.21*	*71.57*	
भारत सरकार से अनुदान (अन्य हस्तांतरण / राज्यों को अनुदान)	1,756.30	1,923.30		समाज कल्याण तथा पोषण	*1,248.00*	*1,656.32*	
				अन्य	*34.19*	*46.82*	
				आर्थिक सेवाएं	**10,911.31**	**15,309.35**	
				कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	*2,032.33*	*2,839.76*	
				ग्रामीण विकास	*363.85*	*449.80*	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	*595.69*	*873.61*	
				सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	*521.95*	*694.67*	
				ऊर्जा	*5,061.91*	*7,542.75*	
				उद्योग तथा खनिज	*326.62*	*435.98*	
				परिवहन	*1,333.90*	*1,738.44*	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	*30.74*	*43.90*	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	*644.32*	*690.44*	
II.खंड-ख में दर्शाया गया राजस्व घाटा	**-**	**-**	**4,859.26**	**II. खंड-ख में दर्शाया गया राजस्व अधिशेष**	**7,595.39**	**-**	**-**
कुल खंड-क	**48,511.88**		**56,089.97**	**कुल खंड-क**	**48,511.88**		**56,089.97**

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मदे	**2017-18**	**2018-19**		**विभिन्न मदे**	**2017-18**	**2018-19**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
खंड- ख: पूंजी							
III. स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश सहित आरंभिक नकद शेष	**428.62**		**554.38**	**III. पूंजीगत परिव्यय**	**10,352.88**		**8,413.58**
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-		-	**सामान्य सेवाएं**	**803.02**	**818.08**	
				सामाजिक सेवाएं	**2,787.01**	**2,895.57**	
				शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	884.90	793.54	
				स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	510.58	874.36	
				जलापूर्ति, स्वच्छता /एचएंडयूडी	1,025.65	1,000.53	
				सूचना एवं प्रसारण	2.32	1.06	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	100.57	35.53	
				समाज कल्याण तथा पोषण	252.49	142.17	
				अन्य सामाजिक सेवाएं	10.50	48.38	
				आर्थिक सेवाएं	**6,762.85**	**4,699.93**	
				कृषि एवं संबद्ध गतिविधि	917.02	596.50	
				ग्रामीण विकास	1,849.85	1,805.20	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	226.34	317.66	
				सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	373.52	277.50	
				ऊर्जा	660.22	206.16	
				उद्योग तथा खनिज	210.92	116.08	
				परिवहन	1,571.00	821.30	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	52.45	8.04	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	901.53	551.49	
				IV. ऋण तथा अग्रिम संवितरण	**24.75**		**69.15**
V. ऋणों तथा अग्रिमो की वसूली	**4.41**		**4.23**	उद्योग तथा खनिज	13.29	37.98	
उद्योग तथा खनिज	2.50	2.51		परिवहन	7.50	30.00	
सरकारी सेवक	1.64	1.49		सरकारी सेवक	3.96	1.17	
अन्य	0.27	0.23		अन्य			
				V.राजस्व घाटा	0.00		**4,859.26**
VI.राजस्व अधिशेष	**7,595.39**		**-**		**-**	-	**-**

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मदे	**2017-18**	**2018-19**		**विभिन्न मदे**	**2017-18**	**2018-19**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
VII.लोक ऋण प्राप्तियां	**25,557.58**		**25,336.22**	**VI.लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**22,490.14**		**20,646.61**
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	25,525.98	25,332.28		आंतरिक ऋण के अतिरिक्त अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	22,374.19	20,529.39	
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	31.60	3.94		भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान।	115.95	117.22	
रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संव्यवहार				ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल संव्यवहार			
VIII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन		--	--	**VII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन**		--	--
IX. आकस्मिक निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	0.15		0.17	**VIII-आकस्मिकता निधि से व्यय**	**0.17**		**--**
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**15,121.96**		**18,260.90**	**IX-लोक लेखा संवितरण**	**15,285.79**		**9,656.26**
लघु बचतें तथा भविष्य निधि	5,032.41	8,857.92		लघु बचतें तथा भविष्य निधि	3,476.24	3,534.45	
आरक्षित निधि	419.22	695.07		आरक्षित निधि	129.35	3,73.06	
जमा तथा अग्रिम	4,894.44	4,914.05		जमा तथा अग्रिम	3,809.95	4,360.05	
उचंत तथा विविध	3,842.12	1,052.58		उचंत तथा विविध	3,981.69	648.55	
प्रेषण	933.77	2,741.28		प्रेषण	3,888.56	740.15	
				X. अंत में नकद शेष	**554.38**		**511.04**
				कोषागारो में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	6.77	6.77	
				बैंको के पास जमा धन	147.74	104.40	
				स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	5.09	5.09	
				नकद शेष निवेश	383.92	383.92	
				आरक्षित निधि निवेश	10.86	10.86	
कुल खंड-ख	**48,708.11**		**44,155.90**	**कुल खंड-ख**	**48,708.11**		**44,155.90**

विस्तृत टिप्पणियां

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखाओं में टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ना होगा।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकदी आधार पर होने के कारण सरकारी लेखा में घाटा, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत नकदी आधार पर स्थिति को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, स्टाक आंकडो आदि पर, देय या प्राप्य मदे या मूल्यह्रास या भिन्नता वाली मदे लेखाओ में नहीं होती हैं।
3. उचंत तथा विविध शेषों में जारी किए गए चेक शामिल होते हैं, लेकिन वे चेक शामिल नहीं होते जिनका भुगतान नहीं किया गया हो तथा इसमें राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लंबित निपटान आदि शामिल हैं

परिशिष्ट-1.5 (पूर्ववत जारी)
31 मार्च 2019 को जम्मू एवं कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2019 को	
		देयताएं		
	37,418.53	**आंतरिक ऋण**		**42,221.42**
26,019.50		ब्याज दर वाला बाजार ऋण	30,946.65	
1,415.90		एलआईसी से ऋण	1,269.74	
9,983.13		अन्य संस्थानों से ऋण	10,005.03	
	1,404.85	**केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम**		**1,291.57**
37.79		1984-85 से पहले के ऋण	37.79	
96.29		गैर-नियोजित ऋण	96.29	
1,229.92		राज्य योजना स्कीम के लिए ऋण	1,113.50	
31.60		केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए ऋण	34.74	
9.25		अर्थोपाय अग्रिम	9.25	
	1.00	**आकस्मिकता निधि**		**1.00**
	20,918.79	**लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि।**		**26,242.26**
	2,175.25	**आरक्षित निधि**		**2,497.26**
	6,298.73	**जमा**		**6,852.73**
	763.58	**प्रेषण शेष**		**2,764.71**
	--	**उचंत तथा विविध शेष**		**5.31**
	23,711.23	**सरकारी लेखा पर अधिशेष**		**18,851.97**
	92,691.96	**कुल**		**1,00,728.23**

31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2019 को	
परिसंपत्तियां				
	90,065.15	**स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**98,478.73**
653.52		कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	689.42	
89,411.63		अन्य पूंजीगत परिव्यय	97,789.31	
	1,660.85	**ऋण तथा अग्रिम**		**1,725.77**
757.30		उद्योग तथा खनिज	792.77	
573.62		परिवहन	603.62	
85.05		ऊर्जा	85.05	
40.69		कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	40.67	
183.46		अन्य विकास ऋण	183.25	
20.73		सरकारी सेवक को ऋण तथा विविध ऋण	20.41	
	12.69	**अग्रिम**		**12.69**
	398.72	**उचंत तथा विविध शेष**		**--**
	0.17	**आकस्मिकता निधि से (प्रतिपूर्ति रहित)**		**--**
	554.38	**नकद**		**511.04**
6.77		कोषागारो में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	6.77	
147.74		बैंक के पास जमा	104.40	
4.97		विभागीय नकद शेष	4.97	
0.12		स्थायी अग्रिम	0.12	
383.92		नकद शेष निवेश	383.92	
10.86		आरक्षित निधि निवेश	10.86	
	92,691.96	**कुल**		**1,00,728.23**

(स्रोत: वित्त लेखे)

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: पैराग्राफ:1.1.2)

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 9 ने 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए राज्य सरकार पर निम्नलिखित बाध्यताएं लागू की हैं:

(क) राजस्व अधिशेष को बनाए रखा जाना था तथा अधिशेष को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाने थे।

(ख) हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटे को वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकांश 20 *प्रतिशत* तक उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था तथा उसके बाद, वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी के एक *प्रतिशत* की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ स्तर को बनाए रखना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा जीएसडीपी का 24.73 *प्रतिशत* था।)

(ग) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की 0.5 *प्रतिशत* की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी की अधिकतम तीन *प्रतिशत* तक राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 9.96 *प्रतिशत* था।)

(घ) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की पांच *प्रतिशत* तक की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक 'बकाया कुल देयताओं' को उत्तरोत्तर रूप से कम करके जीएसडीपी को 55 *प्रतिशत* तक कम किया जाना था। (आधार वर्ष 2005-06 के लिए अधिनियम में यथापरिभाषित राज्य की ''बकाया कुल देयताएं'' सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के बकाया होने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2005-06 में सरकारी लेखाओं के अनुसार सरकार की बकाया देयताएं जीएसडीपी का 63.31 *प्रतिशत* थी। 13 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य का बकाया ऋण जीएसडीपी का 63.27 *प्रतिशत* था)।

(ड़) किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धि संबंधी जोखिम वाली गारंटियों को पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 *प्रतिशत* या पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना था, या इनमें से जो भी कम हो।

अधिनियम में यह भी विचार किया गया था कि सरकार अधिनियम के प्रावधानों की समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने तथा राज्य विधानमंडल के

प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी स्थापित कर सकती है।

एफआरबीएम नियमावली (जनवरी 2008) द्वारा वित्तीय/ राजकोषीय संकेतकों की निगरानी के लिए, मैक्रो आर्थिक ढांचा विवरण (एमईएफएस)/ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस)/ राजकोषीय नीति योजना विवरण (एफपीएसएस) को राज्य विधानमंडल में बजट के साथ राजकोषीय सूचना दर्शाते हुए कई विवरणो सहित वार्षिक रूप से प्रारूपों को प्रस्तुत किया जाना निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम/ नियमों के अंतर्गत उद्घाटित आवश्यकताएं वर्ष 2008-09 के बजट से क्रियान्वित की गई थीं। 12वें तथा 13वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऋण/ घाटे में कमी के लक्ष्यों को पुन:निर्धारित करने/ छूट देने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है

- हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित मूल राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा बकाया कुल देयताओं को मूल अधिनियम में मार्च, 2010 की अपेक्षा मार्च, 2009 तक क्रमश: 20 *प्रतिशत*, तीन *प्रतिशत* तथा 55 *प्रतिशत* तक कम करने के लिए 17 दिसम्बर, 2008 को एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था।

- 20 अप्रैल, 2010 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन *प्रतिशत* से बढ़ाकर जीएसडीपी के चार *प्रतिशत* कर दिया गया। चूंकि वर्ष 2009-10 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुन: निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।

- 9 अप्रैल, 2011 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की पाँच वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को जीएसडीपी के 5.3 *प्रतिशत*, 4.7 *प्रतिशत*, 4.2 *प्रतिशत*, 3.6 *प्रतिशत* तथा 3.0 *प्रतिशत* तक पुनर्निर्धारित किया जाना था। चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए पुन: निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।

- 25 अगस्त, 2011 को, अध्यादेश द्वारा एफआरबीएम में एक संशोधन द्वारा 2010-11 से 2014-15 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान 56.1 *प्रतिशत*, 55.1 *प्रतिशत*, 53.6 *प्रतिशत*, 51.6 *प्रतिशत* तथा 49.3 *प्रतिशत* तक जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में बकाया ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य पुन:

निर्धारित किया गया, जैसा कि 13वें वित्त कमीशन द्वारा सिफारिश की गई थी। (चूँकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुनर्निर्धारित लक्ष्य लागू किये जाने योग्य नहीं था)।

- 14वें वित्त आयोग (2015-2020) की अवार्ड अवधि के दौरान जीएसडीपी की तीन *प्रतिशत* की वार्षिक सीमा तक राजकोषीय घाटे को रखने के लिए एफआरबीएम तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 में 13 फरवरी 2018 को संशोधन किया गया था।

परिशिष्ट-1.7
(संदर्भ: पैराग्राफ:1.1.2)
एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमों का कार्यान्वयन

यदि विशेष रूप से वित्त आयोग के दायरे से बाहर यदि केंद्र सरकार पर्याप्त सहायता अनुदान या ऋण राहत प्रदान करने का चयन करती है तो कोई भी राज्य सरकार राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, कुल देयताओं आदि को कम करने/ समाप्त करने के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। राज्य की राजकोषीय सतर्कता या राजकोषीय उत्तरदायित्व का वास्तविक मापदंड राज्य का अपना घाटा है, जो राज्य के नियंत्रण में राज्य के व्यय तथा गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच संसाधन अंतर को भी यह मानकर आंकता है कि पुरानी वित्तीय देयताएं नये उधार से पुन: वित्त पोषित होती रहेंगी। ये गैर-ऋण संसाधन राज्य की अपनी राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हैं। राज्य ने केंद्र सरकार से संसाधनों के अंतरण पर निर्भरता को 2006-07 में 67 *प्रतिशत* से 2014-15 में 60 *प्रतिशत* तक घटाकर राज्य ने सुधार दर्शाया है। निस्संदेह, यह केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं को ध्यान में न रखते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे संसाधनों को हस्तांतरित करना ध्यान में नही रखा गया है।

- राज्य के पास 2013-14 तक राजस्व अधिशेष रहा परंतु वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान इसे बनाए नहीं रखा जा सका जैसा कि ₹390 तथा ₹640 करोड़ का राजस्व घाटा था। तथापि, वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान, ₹2166 तथा ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष था तथा वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य के पास ₹4,859 करोड़ का घाटा बना रहा। राज्य का स्वयं का घाटा निरंतर उच्च स्तर पर बना हुआ है तथा व्यय वृद्धि के साथ लगातार बढने से राजस्व जुटाना दूर होता जा रहा है।
- वर्ष 2009-10 के अंत तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन *प्रतिशत* तक कम करने का मूल लक्ष्य बहुत व्यापक अंतर से चूक गया था, क्योंकि उस वर्ष वास्तविक राजकोषीय घाटा 9.1 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। अप्रैल 2010 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन अनुसार 2009-10 के लक्ष्य को चार *प्रतिशत* तक बढ़ाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य को 2011-12 में जीएसडीपी 4.7 *प्रतिशत* तथा 2012-13 में जीएसडीपी 4.2 *प्रतिशत* तथा 2013-14 में 3.6 *प्रतिशत* तक राजकोषीय घाटे को पूरा करना था, परंतु

वास्तव में राजकोषीय घाटा क्रमश: 5.6, 5.4 तथा 5.2 *प्रतिशत* था। वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 का राजकोषीय घाटा 6.4, 8.8, 5.4 तथा जीएसड़ीपी के 1.9 *प्रतिशत* के साथ समाप्त हुआ जो 2016-17 तक तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य से काफी अधिक रहा तथा चालू वर्ष के दौरान तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य से नीचे था।

- एफआरबीएम नियमों में (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व घाटा (ख) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटा तथा (ग) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में कुल बकाया देयताओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये नियम "हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा" जिसे 2009-10 तक जीएसडीपी के 20 *प्रतिशत* तक कम किया जाना था, के लिए वार्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए हटा दिए गए है। वास्तव में, इस राजकोषीय मानदंड का राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस मानदंड पर सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि राजकोषीय रियायतें/ प्रोत्साहन इसके अनुपालन से जुड़े हुए हैं।
- एफआरबीएम अधिनियम ''बजट से बाहर दिए गए मूल तथा/ या ब्याज जहां गारंटी सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) तथा विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) तथा अन्य समान तंत्र द्वारा उधार सहित राज्य की समेकित निधि तथा राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत देयताओं के रूप में 'कुल देयताओं' को परिभाषित करता है।'' यह व्यापक योग था कि जीएसडीपी को 55.1*प्रतिशत* तक सीमित करने का लक्ष्य पूरा किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार, सरकारी लेखाओं का हिस्सा बनने वाली सरकार की वित्तीय देयताओं को शामिल करती रही। पीएसयू/ एसपीवी की देयताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस अनुपालन को इस तथ्य ने कठिन बना दिया था कि कई पीएसयूके लेखाओं में काफी बकाया है तथा इसलिए उनकी देनदारियों का पता नहीं लगाया जा सका। इनमें सरकारी लेखाओं से अलग बैंक खातों में सरकारी अधिकारियों द्वारा धारित निधियों के कारण देनदारियों को शामिल नहीं किया जाता है, जो सामान्यत: राज्य लोक लेखाओं में क्रेडिट किया जाना चाहिए। वित्त विभाग सरकारी लेखाओं से बाहर धारित इन नकद शेषों की निगरानी नहीं कर रहा है यद्पि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा परिचालित किया गया था। पेंशन के लेखा तथा अन्य सेवानिवृति लाभों पर गैर-निधिकृत देयताएं भी इससे बाहर हैं, यद्पि एफआरबीएम अधिनियम

के अनुसार इन्हें भी शामिल किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, 'कुल देयताओं' की गणना के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का अब तक पालन नहीं किया गया है।

- विधानमंडल को प्रस्तुत की गई एफआरबीएम विवरणों में उद्घाटित की गई 'प्रतिबद्ध देयताओं' में ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जैसे (क) वेतन तथा पेंशन संशोधन की अवितरित बकाया देयताएं (ख) विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत काउंटरपार्ट मैचिंग निधियो की देयता। इस प्रकार ऐसे व्ययों को स्थगित करने के बावजूद ऋण/ घाटा कम करने के लक्ष्य से चूक गए।

- जीएसडीपी के बारे में कुछ मान्यताओं तथा पूर्वानुमान पर 12वें तथा 13वें वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय घाटे, कुल देयताओं आदि के लिए वार्षिक लक्ष्यों की सिफारिश की गई थी। जीएसडीपी डाटा को संशोधित किए जाने के बाद भी, इन लक्ष्यों को समान रूप से संशोधित नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष मानकर संशोधित किए जाने के बाद भी, वर्ष 2007-08 के लिए जीएसडीपी ₹35,620 करोड़ तक बढ़ गया। इस प्रकार, 1999-2000 के आधार वर्ष के रूप में जीएसडीपी श्रृंखला के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को एक नई जीएसडीपी श्रृंखला के साथ निर्धारित किया गया था जिसमें काफी अधिक संख्या दी गई थी, इसे कम करके संशोधित किया जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण/ घाटे में कमी का लक्ष्य (जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में) तेरह वें वित्त आयोग के अवलोकन से परे अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन पर जीएसडीपी में वृद्धि के कारण कम हो गए हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन प्रयासों का मूल्यांकन तथा बजट दस्तावेजों में एफआरबीएम अधिनियम अनुपालन के मूल्यांकन की प्रक्रिया को भाजक प्रभाव (जीएसडीपी में वृद्धि) तथा गणक प्रभाव (सरकारी ऋण में कमी तथा पूर्ण राशि में कमी) पूरा करने के लिए अंतर करना चाहिए।

- एफआरबीएम अधिनियम से अभिप्राय कि सरकार अधिनियम के उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने तथा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा करने के लिए सरकार स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती हैं। तथापि, अभी तक ऐसी कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई है।

- एफआरबीएम अधिनियम में यह अपेक्षित था कि मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में, विधानमंडल को बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए, सरकार; सरकार के राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को निर्धारित करेगी तथा अंतर्निहित मान्यताओं के स्पष्ट प्रतिज्ञापन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष के लिए अस्थाई लक्ष्य निर्धारित करेगी। राजकोषीय संकेतकों तथा संधारणीयता के मूल्यांकन के पीछे विभिन्न मान्यताओं से संबंधित (i) राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच संतुलन (ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियां का उपयोग (iii) अगले दस वर्षों के लिए बीमांकिक आधार पर अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं को, भी विवरण में शामिल किया जाना था। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव नहीं था, तो सरकार उस अवधि के दौरान प्रवृत्ति वृद्धिदर आधार पर पूर्वानुमान द्वारा पेंशन देयताओं का अनुमान लगा सकती है। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम के इन उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था तथा वास्तव में विधानसभा को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणों में नियमों के उपबंधों को दोहराया गया था।

- एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत, सरकार बजट दस्तावेजों में परिसंपत्तियों के सारांश को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के साथ प्रस्तुत विवरणों में भूमि सहित परिसंपत्तियों के बुक वैल्यू को दर्शाया गया है। मूल्यांकन तथा पूर्णता का आधार देखने के लिए सहायक अभिलेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा इन संख्याओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।

- उपर्युक्त विचलनों के बावजूद, राज्य ने कर राजस्व में काफी वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से प्राप्त अवसरों का अच्छा उपयोग किया है। वाणिज्यिक करों में जुटाव रिकार्ड वृद्धि हुई है तथा राज्यों के राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि दर्शाई गई है। तथापि, संबधित क्षेत्र बने हुए है, राज्यों का घाटा व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण बना हुआ है तथा स्थापना पर व्यय संबंधी प्रतिबद्धताएं विद्युत क्षेत्र में संसाधन गैप एक गंभीर कमी है।

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: पैराग्राफ:1.3.3)

केंद्रीय योजना निधियों का राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(राज्य बजट के बाहर दी गई निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़ें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन को आर्थिक सहायता	वृद्ध जनो, दिव्यांग, अनाथो तथा विधवाओं के पुनर्वास हेतु परिषद्	300.00	-	-	-	-
2	विशेष श्रेणी के राज्य डीआईपीपी के लिए पैकेज (उत्तर पूर्व के अतिरिक्त)	जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम लि।	-	-	-	-	3,569.47
3	अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) सहित स्वयं रोजगार तथा प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू)	विभिन्न उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय	252.00	-	-	-	-
4	सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	जिला उपायुक्त	4,000.00	4,500.00	3,250.00	5,500.00	3,500.00
5	बौद्ध तथा तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	बौद्ध अध्ययन संस्थान	2,567.08	2,315.58	-	-	967.67
6	आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता	संस्थान तथा होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी	659.05	358.30	27.91	366.00	871.00
7	ई-शासन	जम्मू एवं कश्मीर ई शासन (जेकीईजीए)	379.00	-	-	-	344.92
8	अनुसंधान तथा विकास सहायता (एसईआरसी)	पीएसयू, एसकेयूएएसटी, कश्मीर विश्वविद्यालय		-	-	219.18	-
9	सोलर पावर-ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी	1,482.39	90.33	3,515.92	5,996.19	2,201.96
10	सभी गांवों के लिए ग्रामीण कार्यों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी	-	-	-	143.32	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
11	व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)/ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	निदेशक हथकरघा विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर / भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर।	-	-	871.50	131.87	-
12	ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर एमएनआरई	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड जम्मू एवं कश्मीर नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	-	-	1,448.88	2,929.77	3,864.21
13	मद्य तथा मादक द्रव्यों (दुरुपयोग) के निषेध की योजना	(मिलिटेंसी के शिकार) वृद्ध जनो, दिव्यांग, अनाथो तथा विधवाओं के पुनर्वास हेतु परिषद् - [आरसीएमवी]	20.04	300.00	300.00	304.97	288.11
14	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान तथा होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/खाद्य शिल्प स्थान (सोसाईटी) जम्मू	-	188.40	-	302.16	255.12
15	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	कश्मीर के कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एसके विश्वविद्यालय, श्रीनगर एचआरडी एनीमल बायोटैक, जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, भारतीय एकीकृत समवेत औषध चिकित्सा संस्थान आदि।	-	-	613.85	-	122.89
16	शिक्षको तथा प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू)	269.00	-	-	-	-
17	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	जम्मू एवं कश्मीर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	1,539.35	-	-	-	-
18	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (एसएएमपीडीए) सीएस	सुपर स्टार स्पाइसीज, जियाफत ऑयल मिल्स, मीर एग्रो इंडस्ट्रीज, बसंतार ब्रेवरीज, डेली नीड मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हंसराज एक्सपोर्ट्स, काचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन।	-	-	-	1,815.75	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
19	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पादन विभाग	9,147.70	-	-	-	-
20	प्रधानमंत्री संपदा योजना	खैबर कृषि फार्म्स, (पी) लि.	150.07	-	-	-	-
21	जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत टैक्सटाइल पार्क के लिए योजना (एसआईटीपी)	जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत टैक्सटाइल पार्क (लिमिटेड)	-	-	-	-	1,191.00
22	कौशल विकास	जम्मू एवं कश्मीर कौशल विकास पहल मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल सोसायटी	-	-	-	-	263.10
23	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	जम्मू एवं कश्मीर एससी एसटी एंड बीसी विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-
24	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता	एनआईटी श्रीनगर	19,159.00	13,090.00	-	2,900.00	4,250.00
25	राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता	जम्मू एवं कश्मीर एससी /एसटी तथा पिछडा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	470.00
26	व्यस्क शिक्षा तथा कौशल विकास हेतु एनजीओ/ संस्थानो/ एसआरसी की सहायता (एनजीओ,जेएसएस एसआरसी में विलयित योजना)	जन शिक्षण संस्थान/ राज्य संसाधन केंद्र जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	114.25	-
27	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौदयोगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी) जम्मू	133.00	-	-	-	-
28	भारत में हाइब्रिड तथा विद्युत वाहन के निर्माण हेतु तीव्र गति से योजना अंगीकरण करना (एफएएमई इंडिया)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सडक परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी)	449.40	-	-	-	-
29	एससी तथा ओबीसी बालक तथा बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण हेतु अनुदान	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	-	135.00

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
30	स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के बुनियादी ढांचे का विकास	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	-	-	-	216.00	252.00
31	ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च	यूनानी दवाओ का क्षेत्रीय संस्थान, श्रीनगर	-	-	-	-	148.80
32	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग तथा संबद्ध योजनाएं	मैसर्स. राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी) - [एनआईआईटीजेके]/ मानव कल्याण संगठन/ हिलाल संस्थान/ नागरिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान सोपोर/ एसेंट ग्रुप	-	105.64	-	-	134.51
33	एससी तथा ओबीसी छात्रों सहित दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	-	106.27	-	-	-
34	ई-कोर्ट फेज-॥	रजिस्ट्रार जनरल, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायलय	26.00	17,679.54	-	-	-
35	मेगा क्लस्टर टैक्सटाइल्स	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पैमाना उद्योग विकास निगम	-	-	-	128.90	1,010.00
36	जनशक्ति विकास (आईटी में कौशल सहित विकास) डीआईटी	जम्मू एवं कश्मीर ई-शासन एजेंसियां	-	-	-	-	136.84
37	आधारभूत अनुसंधान के लिए मेगा सुविधाएं	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	158.00	140.36
38	नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	एनआईटी श्रीनगर	-	-	-	-	132.12
39	युवा तथा किशोरों के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग तथा विंटर स्पोर्ट्स	303.88	85.95	-	164.16	200.19
40	अनुसंधान तथा विकास जैव प्रौद्योगिकी विभाग	जम्मू एवं कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	-	-	1,159.13
41	बुनियादी ढांचे तथा एफपीआई विकास के लिए योजना	मीर एग्रो इंडस्ट्रीज/ काचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन	-	-	-	-	480.33

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
42	शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्तियों के लिए योजना	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, श्रीनगर / कश्मीर अनुसंधान शिक्षा तथा सोलर प्रौद्योगिकी संस्थान	254.16	208.08	733.89	691.02	249.47
43	सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	कश्मीर पर्यावरण तथा सामाजिक संगठन	-	-	-	349.81	116.59
44	भूकंप संबंधी अनुसंधान	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	-	224.98
45	राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	112.84
46	एलायंस तथा आर एंड डी मिशन	भारतीय समवेत औषध संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय, एसकेयूएएसटी जम्मू/ कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	-	-	436.76	428.80	-
47	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास	एसकेयूएएसटी जम्मू/ कश्मीर, एसकेआईएमएस। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इस्लामिक विश्वविद्यालय	1,131.44	1,147.65	270.00	734.54	-
48	विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	भारतीय समवेत औषध संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय।	-	79.52	108.74	114.14	-
49	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	एसकेयूएएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, स्नातक महाविद्यालय उधमपुर, समन्वयक स्टार महाविद्यालय कार्यक्रम, एफवीएससी तथा पशुपालन सुहामा, राजकीय महिला महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू।	-	-	-	192.86	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
50	स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी तथा प्रबंधन सहित ईएमआर	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	-	140.00	-	-	
51	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	-	100.00	-	150.00	-
52	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	-	659.74	4,675.75	194.46	-
53	वन स्टॉप सेंटर	उपायुक्त/ ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी	150.20	87.52	-	-	-
54	पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम	लद्दाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद, लेह/ कारगिल।	-	-	162.00	1,099.25	-
55	अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण तथा आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरणीय तथा सामाजिक संगठन	82.10	50.50	-	133.78	-
56	कला एवं संस्कृति तथा शताब्दी समारोह की योजना	सोनम स्टोबगिस, सांस्कृतिक एवं कल्याण सोसाइटी स्तकना गोनपा, शाह-ए-जहान अहमद भगत, कल्याण सोसायटी, तुकला गोनपा, कश्मीर संगीत सोसायटी, राष्ट्रीय बांध थियेटर, संगम थियेटर समूह, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लालोक कुनफान थुंडल तसोगस्पा, कर्मा दुपग्युड च्योलिंग सांस्कृतिक एवं कल्याण संघ, सेवा बलिदान बंधु धर्म केंद्र आदि।	-	-	-	966.36	-
57	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मैसर्स. राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी)-[एनआईआईटीजेके]/ विकास तथा प्रशिक्षण के लिए सोसायटी/ टैड्रिल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/ सॉफ्टेक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान / मानव कल्याण संगठन/ एवरग्रीन कंप्यूटर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान	-	1,324.22	109.76	893.02	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
58	पांच मेगा कलस्टरो की स्थापना	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड (जम्मू एवं कश्मीर एसआईसीओपी)	-	-	-	310.00	-
59	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	एसकेयूएएसटी कश्मीर, एनआईआईटी श्रीनगर	-	-	-	139.04	-
60	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष/ निधि योजना (एटीयूएफएस)	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	201.59	357.12	847.33	569.35	892.35
61	चिनाब वैली पावर को जम्मू एवं कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के अंतर्गत पाकुल डल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड.	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
62	खादी गांव तथा कॉइर उद्योगो का विकास	जम्मू एवं कश्मीर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	-	-	523.49	-	-
63	पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	-	-	1,040.07	-	-
64	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)	राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसीओ), जम्मू एवं कश्मीर	72.80	820.50	506.70	-	-
65	बुनियादी ढांचे का विकास तथा क्षमता निर्माण	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	332.82	491.12	110.62	-	-
66	न्वोन्मेष प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू-कश्मीर [एसकेयूएएसटी-जम्मू एवं कश्मीर], कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार उष्मायन केंद्र	197.46	361.89	-	-	-
67	कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक तथा कल्याण समितियां	572.74	434.61	271.38	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
68	खेलों के विकास के लिए खेलो भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इस्लामिक विश्वविद्यालय (आईयूएसटी), अवंतीपोरा, पुलवामा, कश्मीर तथा निदेशक युवा सेवाएं तथा खेल जम्मू एवं कश्मीर	1,584.00	531.34	786.87	-	-
69	भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर भूमि अभिलेख प्रबंधन एजेंसी (जेएकेएलएआरएमए)	30.00	477.00	-	-	-
70	विधिक मेट्रोलॉजी तथा गुणवत्ता आश्वासन भार तथा मापन	जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड जम्मू/ श्रीनगर	-	-	650.00	-	-
71	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	प्रबंधन तथा लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)/ क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बडगाम।	17.50	100.40	750.45	-	-
72	नई मंज़िल-एकीकृत शिक्षा तथा आजीविका पहल	कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान/ राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी तथा समाज कल्याण संगठन/ विकास तथा प्रशिक्षण के लिए सोसाइटी/ राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	687.34	479.85	493.25	-	-
73	राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम तथा नियंत्रण सोसायटी-[जेकेएसएपीसीएस]	857.76	777.04	803.06	-	-
74	राष्ट्रीय शिक्षा अभियान-साक्षर भारत (सीएस)	जन शिक्षा संस्थान जम्मू/ टंगडार/ राज्य संसाधन केंद्र श्रीनगर.	-	-	195.60	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
75	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पशमीना हथकरघा औद्योगिक सहकारी समिति, जन कल्याण हथकरघा बुनाई औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, दि एस्क्वायर रैफल्स पशमीना हथकरघा डब्लयूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स बदाम पशमीना तथा रैफल्स हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स झेलम वैली निराश्रित बुनकर औद्योगिक सहकारी सोसायटी लिमिटेड, मैसर्स शोकीन पशमीना रैफल्स तथा कॉटन हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लि.	-	295.90	181.25	-	-
76	न्याय प्रदान करने तथा विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन	रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय/ संगठन के अनुसंधान तथा विकास के लिए कश्मीर संस्थान	-	-	531.31	-	-
77	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	इंडो कश्मीर/ काचरू इंटिग्रेटिड कोल्ड चेन/ सैफरॉन स्पाइसीज तथा फूड्स/ वाज़ान फूड्स, सेफ एंड फ्रेश फूड्स/ फूड्स/ शाफत ऑइल मिल्स तथा स्पाइसीज/ मीर एग्रो इंडस्ट्रीज आदि	-	20.29	1,325.22	-	-
78	तीर्थयात्रा पुन: आरंभ करने तथा आध्यात्मिक संवर्धन का अभियान (पीआरएएसएडी)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	552.09	1,152.11	840.42	-	-
79	स्माल हाइड्रोपावर ग्रिड इंटरएक्टिव	नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	7,044.84	1,433.35	-	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
80	नए आईआईएम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू	544.00	1,645.00	-	-	-
81	पारंपरिक उद्योगों के संपोषण/ पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई)	जम्मू एवं कश्मीर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	873.59	430.50	-	-	-
82	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण	कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/ भारतीय समवेत औषध संस्थान/ शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू एवं कश्मीर	958.85	1,517.28	-	-	-
83	अनुसंधान प्रशिक्षण एवं अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	747.50	349.25	-	-	-
84	अनुसंधान तथा विकास	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, पारिस्थितिकी पर्यावरण तथा दूरस्थ सुदूर संवेदन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	364.93	119.42	-	-	-
85	स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना	पीएमएनआरएफ/ बाढ़ राहत जम्मू एवं कश्मीर प्रधान/ सीएओजीएमसी श्रीनगर/ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू	-	-	317.00	-	-
86	विशिष्ट उद्देश्यों के साथ पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम.	3,454.28	11,550.08	11,862.79	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
87	राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/ जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य परिषद/ एसकेआईएमएस/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू	-	-	156.78	-	-
88	पारंपरिक कला/ शिल्पो के विकास हेतु कौशल तथा प्रशिक्षण उन्नयन (यूएसटीटीएडी)	मानव कल्याण संगठन/ राष्ट्रीय तकनीकी तथा प्रशिक्षण संस्थान, बांदीपुरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	560.00	82.20	167.00	-	-
89	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर कौशल विकास पहल- मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल सोसायटी.	-	-	1,053.88	-	-
90	प्रधानमंत्री वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर सरकार.	602.42	2,900.45	-	-	-
91	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	1,744.97	196.75	-	-	-
92	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	उपायुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि।	380.17	262.91	-	-	-
93	पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सहायिकी	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान	-	1,681.64	-	-	-
94	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू एवं कश्मीर तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-	521.20	-	-	-
95	नई आईआईटी की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू	3,101.00	13,928.00	-	-	-
96	स्थापना व्यय- आयुष	जम्मू विश्वविद्यालय, एसकेयूएएसटी कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान सोवारीगपा	142.50	136.65	-	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
97	परिवार कल्याण योजनाएं	कश्मीर विश्वविद्यालय	77.80	84.92	-	-	-
98	मतदाता शिक्षा	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर	-	328.75	-	-	-
99	सडक स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य	विभिन्न वैयक्तिक तथा निजी निर्माण कंपनी.	6,916.08	2,681.19	-	-	-
100	विंड पावर-ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	27.19	85.72	-	-	-
101	सीआरएफ से राज्यो को अनुदान ईएंडआई	एमजी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड।	-	763.66	-	-	-
102	विविध तथा कल्याण अनुदान	विभिन्न वैयक्तिक	114.50	-	-	-	-
103	एनसीडीसी की 27 शाखाओं की स्थापना तथा मौजूदा शाखाओं को मजबूत बनाना	शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू।	112.75	-	-	-	-
104	कौशल विकास पहल	राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी एवं समाज कल्याण संगठन, एवरग्रीन कंप्यूटर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान, बांडीपोरा सूचना तकनीकी महाविद्यालय, सुपर कंप्यूटर महाविद्यालय, कॉम्टेक आईटी शैक्षिक संस्थान।	790.23	-	-	-	-
105	अंतरिक्ष विज्ञान को बढावा	केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालय	118.68	-	-	-	-
106	औद्योगिक एवं उद्धमिता विकास	भारतीय समवेत औषध संस्थान (आईआईएम)	2,208.87	-	-	-	-
107	अन्य स्वायत निकाय	सोवारिग्पा (एनआरआईएसआर) राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान	100.00	-	-	-	-
108	अन्य योजनाएं	अन्य योजनाएं	968.34	875.80	2,859.16	1,442.98	1,681.16
	कुल योग		**89,514.45**	**1,10,491.13**	**62,798.59**	**29,799.93**	**29,366.12**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.3.6)

14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत सहायता अनुदान अनुमानों/ निर्गमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश (2015-20)	अनुमान (विभाग-वार)				वर्ष के दौरान प्राप्त हुए अनुदान	प्रस्तुत किए गए यूसी	लंबित यूसी	जारी किए जाने हेतु लंबित अनुदान
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	(2015-19)			
1	शहरी स्थानीय निकाय (आवास विभाग)	1,044.51	125.30	173.50	200.46	231.90	125.30	शून्य	शून्य	605.86
	सामान्य मूल अनुदान						शून्य			
	सामान्य निष्पादन अनुदान	261.13	---	51.21	57.95	65.81		शून्य	शून्य	174.97
2	ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरडीडी)	3,117.36	373.96	517.81	598.29	692.11	571.53	571.53	शून्य	1,610.64
	सामान्य मूल अनुदान						शून्य			
	सामान्य निष्पादन अनुदान	346.37	---	67.92	76.86	87.29		शून्य	शून्य	232.07
3	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)	1,268.00	229.00	241.00	253.00	266.00	723.10	18.66	451.54	265.90
	केंद्र का हिस्सा									
	राज्य का हिस्सा	141.00	25.00	27.00	28.00	30.00	80.00	शून्य	शून्य	30.00
कुल		**6,178.37**	**753.26**	**1,078.44**	**1,214.56**	**1,373.11**	**1,499.93***	**590.19**	**451.54**	**2,919.44**

* 14वें वित्त आयोग की सिफारशों के अंतर्गत, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 तक ₹876.42 करोड़ जारी किए गए तथा 2016-17 की दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹13.50 करोड़ रुपये भी जारी किए गए थे। 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने ₹582.01 करोड (2017-18 में एसडीआरएफ को ₹252.90 करोड, 2015-16 में यूएलबी को ₹125.30 करोड, तथा 2016-17 में आरएलबी को ₹203.81 करोड की पहली किश्त के रुप में) तथा वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹28 करोड राज्य के हिस्से के रुप में जारी किए गए।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.1)

नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2017-18 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान / विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विनियोजन सं.	आधिक्य	*लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा का स्तर*
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18, 19,20,21,22,23	227.90	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई।
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24,26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14, 16,18,20,21,23,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26,27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28,29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,28	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28,29	2,108.42	

2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,29	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27	3,277.38	
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
2016-17	12	3,4,5,8,11,15,16,19,23,26,28,29	2,896.86	
2017-18	08	3,5,8,16,23,24,28,29	6,397.06	
कुल			**1,14,061.35**	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.2.1 और 2.3.1)

विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ आधिक्य व्यय किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान / विनियोजन	व्यय	आधिक्य (*प्रतिशत*)
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	3	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	77.32	448.29	370.97 (480)
2	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	228.62	242.04	13.42 (06)
3	16	लोक निर्माण विभाग	953.65	2,488.64	1,534.99 (161)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			**1,259.59**	**3,178.97**	**1,919.38**
II-पूंजीगत(दत्तमत)					
4	5	लद्दाख मामले विभाग	316.16	317.69	1.53 (0.48)
5	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	853.59	874.36	20.77 (02)
6	30	जनजाति मामले विभाग	8.90	28.83	19.93 (224)
कुल (II-पूंजीगत दत्तमत)			**1,178.65**	**1,220.88**	**42.23**
III-पूंजीगत (प्रभारित)					
7	08	वित्त विभाग	17,976.69	20,646.61	2,669.92 (15)
कुल(III-पूंजीगत प्रभारित)			**17,976.69**	**20,646.61**	**2,669.92**
कुल योग (I+II+III)			**20,414.93**	**25,046.46**	**4,631.53**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.2.1 एवं 2.3.2)

विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से ₹एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	*प्रतिशत*
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासन विभाग	423.42	70.25	17
2	02	गृह विभाग	7,553.75	777.61	10
3	04	सूचना विभाग	78.92	12.63	16
4	05	लद्दाख मामले विभाग	882.50	8.89	01
5	06	विद्युत विकास विभाग	9,158.01	1,615.26	18
6	07	शिक्षा विभाग	9,904.85	1,353.64	14
7	08	वित्त विभाग	10,775.54	2,625.85	24
8	09	संसदीय मामले विभाग	61.36	6.53	11
9	10	विधि विभाग	587.68	86.00	15
10	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	346.08	32.39	09
11	12	कृषि विभाग	1,572.94	441.83	28
12	13	पशु/ भेड पालन विभाग	591.31	26.11	04
13	14	राजस्व विभाग	603.79	118.49	20
14	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	3,725.63	176.24	05
15	18	समाज कल्याण विभाग	1,788.59	403.97	23
16	19	आवास और शहरी विकास विभाग	746.05	8.03	01
17	20	पर्यटन विभाग	156.16	21.17	14
18	21	वन विभाग	832.07	10.16	01
19	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	785.86	130.52	17
20	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,528.99	6.60	00
21	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क तथा उद्यान विभाग	266.86	9.26	03
22	25	श्रम,लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	93.53	4.06	04
23	26	मत्स्य पालन विभाग	105.65	6.00	06
24	27	उच्चत्तर शिक्षा विभाग	1,068.57	48.20	05
25	28	ग्रामीण विकास विभाग	487.85	29.78	06
26	29	परिवहन विभाग	71.54	7.10	10
27	30	जनजाति मामले विभाग	54.03	4.49	08
28	31	संस्कृति विभाग	68.96	15.34	22
29	32	बागवानी विभाग	142.18	7.91	06

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	*प्रतिशत*
30	33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	756.60	70.26	10
31	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	555.45	74.21	13
32	35	विज्ञान तथा प्रौदयोगिकी विभाग	13.36	1.12	08
33	36	सहकारी विभाग	64.44	9.47	15
कुल-I			**55,852.52**	**8,219.37**	
II-राजस्व (प्रभारित)					
34	01	सामान्य प्रशासन विभाग	24.49	3.23	13
35	08	वित्त विभाग	5,665.46	456.78	08
36	09	संसदीय मामले विभाग	1.66	0.52	31
37	10	विधि विभाग	49.38	2.73	06
कुल-II			**5,740.99**	**463.26**	
III-पूंजीगत (दत्तमत)					
38	01	सामान्य प्रशासन विभाग	42.30	37.57	89
39	02	गृह विभाग	921.51	585.60	64
40	03	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	2,631.65	2,179.98	83
41	04	सूचना विभाग	2.31	1.24	54
42	06	विद्युत विकास विभाग	5,590.42	5,384.26	96
43	07	शिक्षा विभाग	1,148.44	531.23	46
44	08	वित्त विभाग	2,595.06	2,569.83	99
45	09	संसदीय मामले विभाग	1.77	0.60	34
46	10	विधि विभाग	91.27	53.03	58
47	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	243.63	91.29	37
48	12	कृषि विभाग	891.57	738.85	83
59	13	पशु/ भेड पालन विभाग	102.22	63.60	62
50	14	राजस्व विभाग	8.62	4.50	52
51	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	343.06	55.81	16
52	16	लोक निर्माण विभाग	2,361.50	1,258.37	53
53	18	समाज कल्याण विभाग	356.16	321.96	90
54	19	आवास तथा शहरी विकास विभाग	1,658.72	1,208.42	72
55	20	पर्यटन विभाग	429.39	335.90	78
56	21	वन विभाग	135.84	98.62	73
57	22	सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण विभाग	1,575.42	1,297.93	82
58	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	660.34	137.10	21

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	*प्रतिशत*
69	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क तथा उद्यान विभाग	97.61	16.13	17
60	25	लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	105.03	59.48	57
61	26	मत्स्य पालन विभाग	15.87	4.50	28
62	27	उच्चत्तर शिक्षा विभाग	228.94	97.05	42
63	28	ग्रामीण विकास विभाग	3,062.88	1,257.67	41
64	29	परिवहन विभाग	59.35	5.98	10
65	31	संस्कृति विभाग	17.13	6.17	36
66	32	बागवानी विभाग	386.15	261.49	68
67	33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	710.69	629.83	89
68	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	237.20	198.03	83
69	35	विज्ञान तथा प्रौदयोगिकी विभाग	726.45	693.30	95
70	36	सहकारी विभाग	5.00	1.25	25
कुल-III			**27,443.50**	**20,186.57**	
कुल-I+II+III			**89,037.01**	**28,869.20**	

(स्रोतः विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.4)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से की गई बचतें
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	04- सूचना विभाग	71.93	6.99	66.30	5.63
2	06- विद्युत विकास विभाग	8,341.05	816.96	7,542.75	798.30
3	09- संसदीय मामले विभाग	56.10	5.26	54.84	1.26
4	11-उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	319.92	26.16	313.69	6.23
5	14- राजस्व विभाग	528.38	7.54	485.30	43.08
6	18- सामाज कल्याण विभाग	1,497.31	291.28	1,384.62	112.69
7	31-संस्कृति विभाग	55.85	13.11	53.61	2.24
कुल-I		**10,870.54**	**1,167.30**	**9,901.11**	**969.43**
II- पूंजीगत (दत्तमत)					
8	02-गृह विभाग	871.49	50.02	335.90	535.59
9	06-विद्युत विकास विभाग	4,712.02	878.40	206.16	4,505.86
10	15-उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	308.72	34.34	287.24	21.48
11	16- लोक निर्माण विभाग	2,098.38	263.11	1,103.13	995.25
12	19- आवास तथा शहरी विकास विभाग	1,487.39	198.32	477.29	1,010.10
13	26- मत्स्य पालन विभाग	15.47	0.40	11.37	4.10
14	27- उच्चत्तर शिक्षा विभाग	225.00	3.93	131.89	93.11
15	28- ग्रामीण विकास विभाग	2,686.17	376.70	1,805.21	880.96
16	31- संस्कृति विभाग	16.87	0.25	10.95	5.92
कुल-II		**12,421.51**	**1,805.47**	**4,369.14**	**8,052.37**
कुल (I+II)		**23,292.05**	**2,972.77**	**14,270.25**	**9,021.80**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.4)

विभिन्न अनुदानों/ विनियोजन का विवरण जहाँ ₹ एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम	मूल	पूरक	कुल	व्यय	आधिक्य
I-राजस्व (दत्तमत)							
1	15	उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	178.13	50.49	228.62	242.04	13.42
2	16	लोक निर्माण विभाग	795.71	157.94	953.65	2,488.64	1,534.99
कुल-I			**973.84**	**208.43**	**1,182.27**	**2,730.68**	**1,548.41**
II-पूंजीगत (दत्तमत)							
3	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	733.80	119.79	853.59	874.36	20.77
4	30	जनजाति मामले	8.54	0.36	8.90	28.83	19.93
कुल-II			**742.34**	**120.15**	**862.49**	**903.19**	**40.70**
कुल-I+II			**1,716.18**	**328.58**	**2,044.76**	**3,633.87**	**1,589.11**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.5)

₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक अभ्यर्पित नहीं करने पर बचत का विवरण

(₹करोड में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन की संख्या तथा नाम	बचतें	अभ्यर्पित न की गई राशि	बचत जिसको अभ्यर्पित किया जाना है
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासन विभाग	70.25	शून्य	70.25
2	02	गृह विभाग	777.61	शून्य	777.61
3	04	सूचना विभाग	12.63	शून्य	12.63
4	05	लद्दाख मामले विभाग	8.89	शून्य	8.89
5	06	विद्युत विकास विभाग	1,615.26	शून्य	1,615.26
6	07	शिक्षा विभाग	1,353.64	शून्य	1,353.64
7	08	वित्त विभाग	2,625.85	शून्य	2,625.85
8	09	संसदीय मामले विभाग	6.53	शून्य	6.53
9	10	विधि विभाग	86.00	शून्य	86.00
10	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	32.39	शून्य	32.39
11	12	कृषि विभाग	441.83	शून्य	441.83
12	13	पशु/ भेड पालन विभाग	26.11	शून्य	26.11
13	14	राजस्व विभाग	118.49	शून्य	118.49
14	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	176.24	शून्य	176.24
15	18	समाज कल्याण विभाग	403.97	शून्य	403.97
16	19	आवास तथा शहरी विकास विभाग	8.03	शून्य	8.03
17	20	पर्यटन विभाग	21.17	शून्य	21.17
18	21	वन विभाग	10.16	शून्य	10.16
19	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	130.52	शून्य	130.52
20	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	6.60	शून्य	6.60
21	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	9.26	शून्य	9.26
22	25	श्रम, लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	4.06	शून्य	4.06
23	26	मत्स्य पालन विभाग	6.00	शून्य	6.00
24	27	उच्चत्तर शिक्षा विभाग	48.20	शून्य	48.20
25	28	ग्रामीण विकास विभाग	29.78	शून्य	29.78
26	29	परिवहन विभाग	7.10	शून्य	7.10
27	30	जनजाति मामले विभाग	4.49	शून्य	4.49

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन की संख्या तथा नाम	बचतें	अभ्यर्पित न की गई राशि	बचत जिसको अभ्यर्पित किया जाना है
28	31	संस्कृति विभाग	15.34	शून्य	15.34
29	32	बागवानी विभाग	7.91	शून्य	7.91
30	33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	70.26	शून्य	70.26
31	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	74.21	शून्य	74.21
32	35	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	1.12	शून्य	1.12
33	36	सहकारी विभाग	9.47	शून्य	9.47
कुल-I			**8,219.37**	**शून्य**	**8,219.37**
II- राजस्व (प्रभारित)					
34	01	सामान्य प्रशासन विभाग	3.23	शून्य	3.23
35	08	वित्त विभाग	456.78	शून्य	456.78
36	09	संसदीय कार्य विभाग	0.51	शून्य	0.51
37	10	विधि विभाग	2.73	शून्य	2.73
कुल-II			**463.25**	**शून्य**	**463.25**
III-पूंजीगत (दत्तमत)					
38	01	सामान्य प्रशासन विभाग	37.57	शून्य	37.57
39	02	गृह विभाग	585.60	शून्य	585.60
40	03	योजना विकास तथा निगरानी विभाग	2,179.98	शून्य	2,179.98
41	04	सूचना विभाग	1.24	शून्य	1.24
42	06	विद्युत विकास विभाग	5,384.26	शून्य	5,384.26
43	07	शिक्षा विभाग	531.23	शून्य	531.23
44	08	वित्त विभाग	2,569.83	शून्य	2,569.83
45	09	संसदीय मामले विभाग	0.60	शून्य	0.60
46	10	विधि विभाग	53.03	शून्य	53.03
47	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	91.29	शून्य	91.29
48	12	कृषि विभाग	738.86	शून्य	738.86
49	13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	63.60	शून्य	63.60
50	14	राजस्व विभाग	4.50	शून्य	4.50
51	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	55.81	शून्य	55.81
52	16	लोक निर्माण विभाग	1,258.37	शून्य	1,258.37

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन की संख्या तथा नाम	बचतें	अभ्यर्पित न की गई राशि	बचत जिसको अभ्यर्पित किया जाना है
53	18	समाज कल्याण विभाग	321.96	शून्य	321.96
54	19	आवास तथा शहरी विकास विभाग	1,208.42	शून्य	1,208.42
55	20	पर्यटन विभाग	335.90	शून्य	335.90
56	21	वन विभाग	98.62	शून्य	98.62
57	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	1,297.93	शून्य	1,297.93
58	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	137.10	शून्य	137.10
59	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	16.13	शून्य	16.13
60	25	श्रम, लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	59.48	शून्य	59.48
61	26	मत्स्य पालन विभाग	4.50	शून्य	4.50
62	27	उच्चत्तर शिक्षा विभाग	97.05	शून्य	97.05
63	28	ग्रामीण विकास विभाग	1,257.67	शून्य	1,257.67
64	29	परिवहन विभाग	5.98	शून्य	5.98
65	31	संस्कृति विभाग	6.17	शून्य	6.17
66	32	बागवानी विभाग	261.49	शून्य	261.49
67	33	आपदा प्रबंधन, राहत , पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	629.83	शून्य	629.83
68	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	198.03	शून्य	198.03
69	35	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	693.30	शून्य	693.30
70	36	सहकारी विभाग	1.25	शून्य	1.25
कुल –III			**20,186.58**	**शून्य**	**20,186.58**
कुल योग -I+II+III			**28,869.20**	**शून्य**	**28,869.20**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.7)

₹ एक करोड़ से अधिक अप्रयुक्त रहे प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	अनुदान का नाम	राशि
1	01	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	5.29
2	03	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	13.32
		5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,406.00
3	6	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,379.22
4	07	2202	सामान्य शिक्षा	16.26
		4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	107.11
5	08	2049	ब्याज भुगतान	756.92
		2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	253.25
		5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान में निवेश	20.40
		6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	332.85
		6004	केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	116.42
		6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए ऋण	5.00
		6885	उद्योगो तथा खनिजों को अन्य श्रण	500.00
6	10	2014	न्याय का प्रशासन	4.07
7	11	2055	पुलिस	2.60
		4851	ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	74.32
		4852	लौह तथा इस्पात उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	2.57
		4853	गैर-लौह खनन तथा धातुकर्म पर पूंजीगत परिवयय	1.00
8	12	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	233.33
		4851	ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	10.01
9	13	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	47.35
10	15	4408	खाद्य, भंडारण तथा वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	4.07
11	16	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	608.21
		5054	सडको तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	554.54
12	17	2211	परिवार कल्याण	45.56
		4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	243.07
13	19	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	531.41
14	20	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	269.81
15	21	4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	98.35
16	22	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	56.75
17	26	4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.20
18	27	4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	33.94

19	28	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	173.03
20	32	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	10.00
21	33	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	50.00
22	34	4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	20.00
23	35	5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	395.45
कुल				**9,382.68**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 तथा 2.8.2)

अनुदान संख्या 07 में अभ्यर्पित नहीं की गई महत्वपूर्ण बचतों के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	बचतें
1	2202/01/101/0031/0449	1,800.00	1,226.29	573.71
2	2202/01/101/0031/2322	249.26	48.08	201.18
3	2202/01/101/0099/0254	1,265.73	1,228.81	36.92
4	2202/01/101/0099/2418	96.04	17.45	78.59
5	2202/01/104/0099/0214	1,582.33	1,332.67	249.66
6	2202/01/104/0099/2356	0.03	0.00	0.03
7	2202/01/800/0031/1030	38.48	0.14	38.34
8	2202/01/001/0099/0214	1,797.71	1,533.60	264.11
9	2202/02/001/0099/2356	0.03	0.01	0.02
10	2202/02/107/0099/0905	0.53	0.50	0.03
11	2202/80/107/099/2436	2.00	1.69	0.31
12	4202/01/201/0011/0632	40.00	27.16	12.84
13	4202/01/201/0031/0449	315.09	57.40	257.69
14	4202/01/201/0031/2322	411.34	52.00	359.34
15	4202/01/202/0011/0149	120.15	69.08	51.07
16	4202/01/800/0031/1030	144.00	32.22	111.78
कुल		**7,862.72**	**5,627.10**	**2,235.62**

अनुदान संख्या 22 में अभ्यर्पित नहीं की गई महत्वपूर्ण बचतों के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
1	2700/01/001/0099/0855	10.04	6.31	3.73
2	2701/04/001/0099/0849	52.45	39.96	12.49
3	2701/04/001/0099/0855	17.87	15.28	2.59
4	2701/04/612/0099/0858	18.90	17.70	1.20
5	2701/04/612/0099/2357	0.15	0.09	0.06
6	2701/80/001/0099/2360	3.83	3.41	0.42
7	2702/80/001/0099/0342	149.64	140.47	9.17
8	2702/80/001/0099/0845	44.49	37.63	6.86
9	2702/80/001/0099/1448	357.74	268.60	89.14
10	2702/80/001/0099/2357	0.73	0.39	0.34

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
11	2711/01/001/0099/0858	39.88	39.51	0.37
12	2711/01/001/0099/1449	90.12	84.16	5.96
13	2711/01/001/0011/0435	25.53	6.08	19.45
14	2711/01/001/0011/0855	11.99	3.68	8.31
15	4701/04/612/0011/0840	9.05	3.80	5.25
16	4702/00/101/0011/1775	22.25	12.38	9.87
17	4702/00/101/0011/1776	28.57	20.27	8.30
18	4702/00/101/0031/1775	89.00	23.19	65.81
19	4702/00/101/0031/1776	113.95	27.17	86.78
20	4711/01/103/0011/1166	1,083.95	1.24	1,082.71
21	4711/01/103/0011/1450	25.83	15.83	10.00
22	4711/01/103/0031/1449	45.00	41.24	3.76
23	4711/01/103/0031/1450	42.44	7.88	34.56
कुल		**2,283.40**	**816.27**	**1,467.13**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.8.1 तथा 2.8.2)

अनुदान संख्या 07 में बिना बजटीय प्रावधान के किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2202/01/001/0031/2448	शून्य	19.50
2	2202/01/105/0031/0274	शून्य	0.55
3	2202/01/107/0031/1398	शून्य	11.25
4	2202/01/800/0031/2280	शून्य	0.08
5	2202/02/109/0099/1664	शून्य	0.73
6	2202/01/800/0031/2280	शून्य	57.29
	कुल	**शून्य**	**89.40**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

अनुदान संख्या 22 में बिना बजटीय प्रावधान के किए गए व्यय के मामलें दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2700/01/601/0000/0000	शून्य	1.31
2	2700/01/602/0000/0000	शून्य	0.37
3	2700/01/601/0000/0000	शून्य	0.16
4	2700/01/601/0000/0000	शून्य	0.50
5	4701/01/601/0000/0000	शून्य	0.23
6	4701/80/052/0031/2468	शून्य	0.28
7	4702/00/800/0031/2449	शून्य	0.39
8	4711/01/103/0011/1166	शून्य	41.68
कुल		**शून्य**	**44.92**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 तथा 2.8.2)

अप्रयुक्त अनुदानो को दर्शाता विवरण

अनुदान संख्या 07

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2202/01/800/0031/0987	16.20	शून्य
2	2202/02/107/0099/0932	0.06	शून्य
3	2202/02/107/0099/0249	45.70	शून्य
4	4202/01/201/0011/2439	40.00	शून्य
5	4202/01/800/0011/0987	5.40	शून्य
6	4202/03/800/0031/2495	16.00	शून्य
कुल		**123.36**	**शून्य**

अप्रयुक्त अनुदानो को दर्शाता विवरण

अनुदान संख्या 22

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य /लघु /उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	4701/04/612/0031/0840	16.43	शून्य
2	4701/80/800/0031/0435	31.32	शून्य
3	4701/80/800/0031/0855	9.00	शून्य
कुल		**56.75**	**शून्य**

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: पैराग्राफ:3.2)

मार्च 2019 को समाप्त मुख्य शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता (डीसी) बिलों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
1	2012	राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघीय क्षेत्रीय का प्रशासक	0.02	0.00	0.02
2	2013	मंत्रिपरिषद्	0.24	0.00	0.24
3	2014	न्याय का प्रशासन	1.05	0.00	1.05
4	2015	निर्वाचन	10.51	28.61	39.12
5	2030	स्टांप तथा पंजीकरण	0.00	1.90	1.90
6	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.01	4.51	4.52
7	2043	बिक्री कर	0.00	0.40	0.40
8	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.20	0.00	1.20
9	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.08	0.00	0.08
10	2053	जिला प्रशासन	0.25	0.06	0.31
11	2054	कोषागार तथा लेखें प्रशासन	1.80	0.00	1.80
12	2055	पुलिस	27.14	245.04	272.18
13	2056	जेलें	0.42	0.00	0.42
14	2059	लोक निर्माण	0.04	0.26	0.30
15	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.86	1.50	2.36
16	2202	सामान्य शिक्षा	1,816.15	0.44	1,816.59
17	2203	तकनीकी शिक्षा	0.25	0.02	0.27
18	2204	खेल तथा युवा सेवाएं	3.56	0.00	3.56
19	2205	कला तथा संस्कृति	2.63	0.00	2.63
20	2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	5.28	3.98	9.26
21	2211	परिवार कल्याण	0.00	0.02	0.02
22	2217	शहरी विकास	0.05	0.00	0.05
23	2225	एससी, एसटी तथा ओबी का कल्याण	0.25	0.00	0.25
24	2230	श्रम तथा रोजगार	1.10	0.12	1.22
25	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.60	22.54	27.14
26	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2.27	167.34	169.61
27	2401	फसल पैदावार	0.66	0.00	0.66
28	2403	पशुपालन	0.01	0.26	0.27
29	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.02	0.00	0.02
30	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1.75	21.43	23.18

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
31	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.07	0.00	19.07
32	2801	विद्युत	0.29	0.20	0.49
33	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	10.07	0.00	10.07
34	3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.03	0.04	0.07
35	3452	पर्यटन	0.88	1.66	2.54
36	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	0.25	0.08	0.33
37	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	1.12	1.12
38	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	73.35	0.00	73.35
39	4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.23	0.00	0.23
40	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8.10	8.30	16.40
41	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.00	0.25
42	4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.89	0.00	9.89
43	4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	577.99	21.66	599.65
44	4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य परपूंजीगत परिव्यय	0.87	144.46	145.33
45	4215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.75	3.75
46	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	13.33	28.33
47	4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	4.56	4.56
48	4225	एस.सी,एस.टी.ओ.बी.सी कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	28.45	0.00	28.45
49	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	11.47	17.16	28.63
50	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	134.95	0.00	134.95
51	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	36.32	0.24	36.56
52	4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.00	0.07
53	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	0.15	0.90
54	4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	8.54	0.00	8.54
55	4408	खाद्य भंडारण तथा वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	48.08	32.00	80.08
56	4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर	19.88	0.00	19.88

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
		पूंजीगत परिव्यय			
57	4425	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	264.63	0.00	264.63
58	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	883.67	91.41	975.08
59	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगयत परिव्यय	4.50	0.00	4.50
60	4851	ग्राम और लघु उदयोगो पर पूंजीगत परिव्यय/	123.19	1.09	124.28
61	4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय /	9.53	0.00	9.53
62	4853	गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय /	0.05	0.00	0.05
63	5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	50.40	0.00	50.40
64	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	8.07	0.00	8.07
65	5425	अन्य वैज्ञानिक पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	7.70	0.00	7.70
66	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	54.22	7.20	61.41
67	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	32.88	5.91	38.79
कुल			**4,325.80**	**852.76**	**5,178.56**

(स्रोत: वीएलसी डाटा)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.4)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित प्रतीक्षित वार्षिक लेखाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	अवधि जिसके लिए लेखों की प्रतीक्षा की गई	प्रतीक्षित लेखों की संख्या
1	श्रीनगर नगर पालिका	1988-89 to 2018-19	31
2	कश्मीर विश्वविद्यालय	2001-02 to 2018-19	18
3	कश्मीर शहरी विकास एजेंसी, श्रीनगर	1999-2000 to 2018-19	20
4	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, श्रीनगर	2002-03 to 2018-19	17
5	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अनंतनाग	2007-08 to 2018-19	12
6	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुलवामा	2002-03 to 2018-19	17
7	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, लेह	2008-09 to 2018-19	11
8	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कारगिल	2008-09 to 2018-19	11
9	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, श्रीनगर (एसकेआईसीसी)	2018-19	01
10	श्रीनगर विकास प्राधिकरण, बेमिना	1999-2000 to 2018-19	20
11	जम्मू एवं कश्मीर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, श्रीनगर	2003-04 to 2018-19	16
12	इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, श्रीनगर	2001-02 to 2018-19	18
13	झीलों और जलमार्गों का विकास, प्राधिकरण, श्रीनगर	2005-06 to 2018-19	14
14	जम्मू विश्वविद्यालय	2002-03 to 2018-19	17
15	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जम्मू	2008-09 to 2018-19	11
16	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कठुआ	2008-09 to 2018-19	11
17	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुंछ	2008-09 to 2018-19	11
18	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डोडा	2003-04 to 2018-19	16
19	कला संस्कृति और भाषा अकादमी	2003-04 to 2018-19	16

20	जम्मू विकास प्राधिकरण	1972-73 to 2018-19	46
21	जम्मू एवं कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	1995-96 to 2018-19	24
22	जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद, श्रीनगर	2003-04 to 2018-19	16
23	जम्मू एवं कश्मीर उर्जा विकास एजेंसी (जेएकेईडीए), श्रीनगर	2003-04 to 2018-19	16
24	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बडगाम	2007-08 to 2018-19	12
25	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बारामूला	2007-08 to 2018-19	12
26	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुपवाड़ा	2006-07 to 2018-19	13
27	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, गांदरबल	2008-09 to 2018-19	11
28	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुलगाम	2008-09 to 2018-19	11
29	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शोपियां	2008-09 to 2018-19	11
30	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बांदीपोरा	2008-09 to 2018-19	11
31	जम्मू नगरपालिका	2002-03 to 2018-19	17
32	जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान, (जेकेईडीआई) पंपोर	1996-97 to 2002-03, 2016-17 & 2018-19	10
33	पर्यटन विकास प्राधिकरण, डूडपथरी	2005-06 to 2018-19	14
34	पर्यटन विकास प्राधिकरण, कोकेरनाग	2004-05 to 2018-19	15
35	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसबल	2005-06 to 2018-19	14
36	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पहलगाम	2002-03 to 2018-19	17
37	पर्यटन विकास प्राधिकरण, सोनमर्ग	2003-04 to 2018-19	16
38	पर्यटन विकास प्राधिकरण, यूसमर्ग	2005-06 to 2018-19	14
39	पर्यटन विकास प्राधिकरण, वेरीनाग	2006-07 to 2018-19	13
40	वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर	2012-13 to 2018-19	07
41	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रामबन	2007-08 to 2018-19	12
42	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मंसार, सुरिनसर	2006-07 to 2018-19	13
43	पर्यटन विकास प्राधिकरण, राजौरी	2005-06 to 2018-19	14
44	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पुंछ	2005-06 to 2018-19	14

45	पर्यटन विकास प्राधिकरण, लखनपुर	2005-06 to 2018-19	14
46	पर्यटन विकास प्राधिकरण, किश्तवाड़	2005-06 to 2018-19	14
47	जम्मू शहरी विकास एजेंसी (जेयूडीए)	1999-2000 to 2018-19	20
48	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, उधमपुर	2000-01 to 2018-19	19
49	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रियासी	2008-09 to 2018-19	11
50	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राजौरी	2001-02 to 2018-19	18
51	पर्यटन विकास प्राधिकरण, गुलमर्ग	2000-01 to 2018-19	19
52	पर्यटन विकास प्राधिकरण, अहरबल	2006-07 to 2018-19	13
53	पर्यटन विकास प्राधिकरण, भद्रवाह	2006-07 to 2018-19	13
54	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पटनीटॉप	2002-03 to 2018-19	16
55	सैनिक स्कूल मानसबल	2016-17 to 2018-19	03
कुल			**821**

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: पैराग्राफ:3.5)

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं तथा सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखें को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखें को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
1.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2017-18	00	55.70	1,628.33	1,684.03	प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं	2017-18	00	20.00	0.00	20.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
3.	जम्मू एवं कश्मीर एससी/एसटी/ ओबीसी विकास निगम लिमिटेड	2001-02	16	10.63	10.76	21.39	प्रस्तुत नहीं किए गए
4.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2016-17	01	10.00	9.15	19.15	प्रस्तुत नहीं किए गए
5.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2009-10	08	1.95	20.95	22.9	प्रस्तुत नहीं किए गए
6.	जम्मू एवं कश्मीर बागवानी उत्पादन और विपणन निगम लिमिटेड	2004-05	13	9.2	49.68	58.88	प्रस्तुत नहीं किए गए
7.	जम्मू एवं कश्मीर लघु स्तर उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2009-10	08	3.11	9.77	12.88	प्रस्तुत नहीं किए गए
8.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	04	17.64	24.36	42	प्रस्तुत नहीं किए गए
9.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण	2013-14	04	1.97	0.33	2.3	प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखें को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखें को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
	निगम लिमिटेड						
10.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	2009-10	08	2.00	0.00	2.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
11.	जम्मू एवं कश्मीर इंडस्ट्रीज विकास निगम लिमिटेड	2010-11	07	16.26	565.67	581.93	प्रस्तुत नहीं किए गए
12.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम लिमिटेड	2000-01	17	6.16	28.69	34.85	प्रस्तुत नहीं किए गए
13.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2010-11	07	4.66	83.57	88.23	प्रस्तुत नहीं किए गए
14.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2011-12	06	45.76	30.53	76.29	प्रस्तुत नहीं किए गए
15.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	1999-00	18	8	119.68	127.68	प्रस्तुत नहीं किए गए
16.	जेएंडके, पावर डेवलपमेंट निगम लिमिटेड	2013-14	04	5.00	1,826.49	1,831.49	प्रस्तुत नहीं किए गए
17.	जम्मू एवं कश्मीर चिनाब घाटी विद्युत परियोजना लिमिटेड	2017-18	00	1,141.86	0.00	1,141.86	प्रस्तुत नहीं किए गए
18.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	05	15.96	4.26	20.22	प्रस्तुत नहीं किए गए
19.	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड	2010-11	07	23.57	0.00	23.57	प्रस्तुत नहीं किए गए
20.	जम्मू एवं कश्मीर, प्रवासी रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	07	2.56	0.00	2.56	प्रस्तुत नहीं किए गए
21.	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल	2017-18	00	186.07	15.36	201.43	प्रस्तुत नहीं

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखें को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखें को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
	निगम लिमिटेड						किए गए
22.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14	04	178.37	514.94	693.31	प्रस्तुत नहीं किए गए
23.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम	1996-97	21	एनए	एनए	एनए	प्रस्तुत नहीं किए गए
24.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	मार्च 2014 से शामिल है	04	0.05	एनए	0.05	प्रस्तुत नहीं किए गए
कुल			**169**	**1,766.48**	**4,942.52**	**6,709.00**	

परिशिष्ट-4
शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	विवरण
1	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित उन संगठनो/ संस्थानो को शामिल किया जाता है जो राज्य में उदाहरणत: एसएसए के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी तथा एनआरएचएम के लिए राज्य स्वास्थ्य अभियान आदि के विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं।
2	जीएसडीपी	जीएसड़ीपी को, वर्तमान कीमतों पर श्रम तथा उत्पादन के सभी कारकों का प्रयोग करते हुए उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार लागत या राज्य की कुल आय के रूप में परिभाषित किया गया है
3	उत्थान अनुपात	उत्थान अनुपात मूल परिवर्ती में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती में लचीलेपन या प्रतिक्रियाशीलता के स्तर को दर्शाता है। उदाहरणत: 0.6 पर राजस्व वृद्धि से तात्पर्य है कि यदि जीएसडीपी एक प्रतिशत बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशतता बिंदुओ तक बढ़ सकती है।
4	आंतरिक ऋण	इसमें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) को जारी किए गए बाजार ऋण तथा विशेष प्रतिभूतियां शामिल होती हैं।
5	कोर पब्लिक तथा मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे गुड्स होते हैं जिन्हें सब नागरिक इस रूप में प्रयोग करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामान का इस प्रकर उपभोग करें जिससे अन्य व्यक्तियों के उपभोग के लिए उस सामान की कमी न रहे, उदाहरणत: कानून तथा नियम को लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा तथा बचाव, प्रदूषण रहित हवा तथा अन्य पर्यावरणीय सुविधाएं तथा सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में मुफ्त या

		सहायिकी दरों पर प्रदान किया जाता हैं क्योंकि समाज को उनकी जरूरत आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर होनी चाहिए न कि सरकार की अदा करने की क्षमता एवं इच्छा पर, तथा इसलिए उनका उपभोग बढ़ाने की इच्छा रखी जाती है। ऐसे वस्तुओं के उदाहरणों में पोषण बढ़ाने के लिए गरीब को मुफ्त या सहायिकी स्तर पर योजना का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति तथा मृत्यु को कम करना, सभी को आधारभूत शिक्षा पेय जल तथा स्वच्छता आदि उपलब्ध कराना शामिल होते हैं।
6	विकास व्यय	व्यय डाटा का विश्लेषण विकास तथा गैर-विकास व्यय में अलग अलग होता है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम से संबंधित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणी बद्ध हैं। बड़े स्तर पर/ मोटे तौर पर, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय शामिल होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर-विकास व्यय के रूप में माना जाता है।
7	ऋण निरंतरता	ऋण निरंतरता को किसी समयावधि में मौजूदा ऋण-जीडीपी अनुपात बनाए रखने के लिए राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा संबंधित अपने ऋण प्रयोग की योग्यता को भी समाविष्ट करता है। इस प्रकार, ऋण की निरंतरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए मौद्रिक परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधार से रिटर्न सहित अतिरिक्त उधार की लागतों के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी दर्शाती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के समान होनी चाहिए

8	गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	राज्य की वृद्धि संबंधी गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धि संबंधी ब्याज देयताओं और वृद्धि संबंधी प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धि संबंधी गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धि संबंधी ब्याज भार और वृद्धि संबंधी व्यय को पूरा किया जाए तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
9	उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों को, ऋण-शोधन (मूल+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को दर्शाता है जहां उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण-शोधन में ऋण प्राप्तियों को प्रयुक्त किया गया हो।
10	गैर-ऋण प्राप्तियां	राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिशील ब्याज भार और वृद्धिशील व्यय को पूरा किया जाए तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
11	निवल ऋण उपलब्ध	लोक ऋण पुनर्भुगतान पर लोक ऋण का आधिक्य तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान